

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 मार्च 2010—फाल्गुन 11, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 3-10-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर प्रशासन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) सम्पूर्ण नियमों में, शब्द “स्थानीय शासन विभाग” के स्थान पर, शब्द “नगर प्रशासन और विकास विभाग” स्थापित किया जाए.
- (2) अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक  
(नियम 5 देखिए)

अनु. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	संचालक, नगर प्रशासन	1	प्रथम वर्ग	आई.ए.एस. संवर्ग में पे बैण्ड+ग्रेड पे तथा विशेष वेतन.
2	संयुक्त संचालक नगर प्रशासन	2	प्रथम वर्ग	(1) डिप्टी कलक्टर (राज्य सिविल सेवा) संवर्ग के लिए अनुज्ञेय पे बैण्ड+ग्रेड पे. (2) विभागीय अधिकारियों के लिए रुपए 15,600-39,100 + ग्रेड पे 7600.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	उप संचालक, नगर प्रशासन	13	प्रथम वर्ग	(1) डिप्टी कलक्टर (राज्य सिविल सेवा) संवर्ग के लिए अनुज्ञेय पे बैंड + ग्रेड पे. (2) विभागीय अधिकारियों के लिए रुपए 15,600-39,100 + ग्रेड पे 6600.
4	सहायक संचालक, नगर प्रशासन	4	द्वितीय वर्ग	15,600—39,100 ग्रेड पे + 5400
5	सांख्यिकी अधिकारी	1	द्वितीय वर्ग	15,600—39,100 + ग्रेड पे 5400.".

(3) अनुसूची दो में, पद सहायक संचालक के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"नगर प्रशासन तथा विकास विभाग.	मध्यप्रदेश नगर प्रशासन (राजपत्रित) सेवा.	सांख्यिकी अधिकारी	1	-	100 प्रतिशत	- .".

(4) अनुसूची चार में, पद "सहायक संचालक" तथा "अधीक्षक" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
नगर प्रशासन तथा विकास विभाग	सहायक संचालक/ सांख्यिकी अधिकारी, नगर प्रशासन.	उप संचालक, नगर प्रशासन	-तदैव-
नगर प्रशासन तथा विकास विभाग	अधीक्षक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी, नगर प्रशासन.	सहायक संचालक/ सांख्यिकी अधिकारी, नगर प्रशासन.	-तदैव-.".

No. 3-10-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Urban Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1986, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) Throughout the rules, for the words “Local Government Department”, the words “Urban Administration and Development Department” shall be substituted.
- (2) For Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I  
(See rule 5)

S. No. (1)	Name of the posts included in the service (2)	No. of posts (3)	Classification (4)	Scale of pay (5)
1	Director, Urban Administration	1	Class 1	Pay band plus grade pay in cadre of IAS and special pay.
2	Joint Director, Urban Administration.	2	Class 1	(1) For Deputy collector (State Civil Service) cadre admissible pay band plus grade pay. (2) For Departmental Officers Rs. 15600-39100+ grade pay 7600.
3	Deputy Director, Urban Administration.	13	Class 1	(1) For Deputy collector (State Civil Service) cadre admissible pay band plus grade pay. (2) For Departmental Officers Rs. 15600-39100+ grade pay 6600.
4	Assistant Director, Urban Administration	4	Class II	Rs. 15600-39100+ grade pay 5400
5	Statistical Officer	1	Class II	Rs. 15600-39100+ grade pay 5400.”.

- (3) In Schedule-II, after the post Assistant Director, the following post and entries relating thereto shall be added, namely:—

Name of the Department (1)	Name of the Service (2)	Name of the post (3)	Total number of duty posts (4)	Percentage of the number of posts to be filled in		
				By Direct recruitment (5)	By promotion of substantive members of the service (6)	By transfer of persons from other services (7)
“ Urban Administration and Development Department.	Madhya Pradesh Urban Administration (Gazetted) Service.	Statistical Officer	1	-	100%	-.”.

(4) In Schedule IV, for the posts "Assistant Director" and "Superintendent" and entries relating thereto, the following posts and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Name of the Department (1)	Name of the post from which promotion is to be made (2)	Name of the post to which promotion is to be made (3)	Name of the members of the Departmental Promotion Committee (4)
"Urban Administration and Development Department.	Assistant Director/ Statistical Officer, Urban Administration	Deputy Director, Urban Administration.	—do—
Urban Administration and Development Department.	Superintendent/Assistant Statistical Officer of Urban Administration.	Assistant Director/ Statistical Officer of Urban Administration.	—do—.

क्र. 3-10-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्थानीय शासन विभाग सेवा (अराजपत्रित) भरती नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) सम्पूर्ण नियमों में, शब्द "स्थानीय शासन विभाग" के स्थान पर, शब्द "नगर प्रशासन एवं विकास विभाग" और शब्द "स्थानीय निकाय" के स्थान पर शब्द "नगर प्रशासन एवं विकास" स्थापित किए जाएं.

(2) अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

### "अनुसूची-एक (नियम 5 देखिए)

अनु क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वेतनमान (4)	नियुक्ति प्राधिकारी (5)
1	अधीक्षक	2	9300—34800 + ग्रेड पे 3600	अनुसूची एक में सम्मिलित समस्त पदों के लिए संचालक, नगर प्रशासन.
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	9300—34800 + ग्रेड पे 3600	
3	लेखा अधिकारी	1	9300—34800 + ग्रेड पे 3200	
4	सहायक अधीक्षक	7	5200—20200 + ग्रेड पे 2800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	सहायक ग्रेड-एक	21	5200—20200 + ग्रेड पे 2800	
6	स्टेनो ग्राफर	2	5200—20200 + ग्रेड पे 2800	
7	लेखापाल	6	5200—20200 + ग्रेड पे 2400	
8	सहायक ग्रेड-दो	26	5200—20200 + ग्रेड पे 2400	
9	स्टेनोग्राफिस्ट	25	5200—20200 + ग्रेड पे 1900 + विशेष वेतन 125	
10	सहायक ग्रेड-तीन	35	5200—20200 + ग्रेड पे 1900.”	

(3) अनुसूची दो में, अनुक्रमांक 1 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(क) देखिए	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतर द्वारा नियम 6(ग) देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
“1-क	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	-	100 प्रतिशत	-	पद लेखापाल, सहायक ग्रेड-एक तथा सहायक अधीक्षक, की संयुक्त पदक्रम सूची से भरे जाएंगे जिन्होंने 5 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त पद पर कार्य किया हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, या समाज शास्त्र से स्नातक हो.”

(4) अनुसूची चार में, पद “सहायक अधीक्षक” के पश्चात् तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित पद और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“नगर प्रशासन एवं विकास विभाग	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-एक/लेखापाल	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तदैव.”

No. 3-10-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Local Self Government Department Services (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1978, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) Throughout the rules, for the words “Local Self Government Department”, the words “Urban Administration and Development Department” and for the words “Local Bodies”, the words “Urban Administration and Development” shall be substituted.

(2) For Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I  
(See rule 5)

S. No.	Name of post included in the service	No. of Posts	Scale of Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Superintendent	2	9300-34800 + grade pay 3600	Director of Urban Administration for all posts included in Schedule I.
2	Assistant Statistical Officer	3	9300-34800 + grade pay 3600	
3	Account Officer	1	9300-34800 + grade pay 3200	
4	Assistant Superintendent	7	5200-20200 + grade pay 2800	
5	Assistant Grade I	21	5200-20200 + grade pay 2800	
6	Stenographer	2	5200-20200 + grade pay 2800	
7	Accountant	6	5200-20200 + grade pay 2400	
8	Assistant Grade II	26	5200-20200 + grade pay 2400	
9	Stenotypist	25	5200-20200 + grade pay 1900 + special pay 125.	
10	Assistant Grade III	35	5200-20200 + grade pay 1900.”	

(3) In schedule II, after serial number 1, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No.	Name of the posts included in the service	Percentage of posts number of post to be filled in			Remarks
		By direct recruitment see rule 6(A)	By promotion of Substantive members of the service see rule 6(B)	By transfer of persons from other services see rule 6(C)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1-A.	Assistant Statistical Officer.	-	100%	-	The post shall be filled from combined gradation list of Accountant, Assistant Grade-1 and Assistant Superintendent who have worked on the said post for a period of five years and having graduation in Commerce, Economics or Sociology from any recognized University."

(4) In Schedule IV, after the posts " Assistant Superintendent" and entries relating thereto, the following post and entries relating thereto shall be inserted namely:—

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
"Urban Administration and Development Department.	Assistant Superintendent/ Assistant Grade I/ Accountant.	Assistant Statistical Officer	—do—."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. कस्तूरे, उपसचिव.